न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 22/17 निर्णय दिनांकः 8-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2017/00045)

1. अन्नाराम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी लाडेरा तहसील बीकानेर।
2. श्रीमती राजादेवी पत्नी अन्नाराम जाति जाट निवासी लाडेरा तहसील बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. श्रीमती उदी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति कुम्हार साकिन रासीसर बड़ा बास, तहसील नोखा जिला बीकानेर (मृतक)
2. गोपीराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार साकिन रासीसर बड़ा बास, तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. उमेदी पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार साकिन रासीसर बड़ा बास, तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. राजा पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार साकिन रासीसर बड़ा बास, तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. सिपु पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार साकिन रासीसर बड़ा बास, तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत दिनांक 21—02—2004

उपस्थितिः—

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हनुमानसिंह राजपुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. अपीलांट् ने उक्त अपील आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेश, कोलायत के आदेश दिनांक 21–02–2024 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित कृषि भूमि वाके चक 21–24 के.डब्ल्यु.डी. के मुरब्बा नम्बर 146/5 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का गैर कानूनी तरीके से मोहरबंद हेतु अधिसूचित भूमि को बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन किया गया के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त कृषि भूमि वाके रोही चक 21–24 के.डब्लू.डी. के मु.नं. 146/5 के किला नं. 1 ता 25 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड स्थित है। उक्त भूमि को राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 20 (सी) के अन्तर्गत सीलबंद भूमि की कीमत प्रक्रिया से विक्रय द्वारा आवंटन करने के लिए दिनांक 09.02.2001 को अधिसूचित किया जा चुका था। जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2004 पारित कर कानूनी भूल की है। उक्त कृषि भूमि मोहरबंद हेतु अधिसूचित होने के बाद अपीलांट द्वारा दिनांक 24.09.2008 को प्रस्ताव सं. 1024 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.09.2009 को आवंटित की जाकर आवंटन आदेश पट्टा दिनांक 08.09.2009 को जारी किया गया है। जिस पर कब्जा दिया जाकर अपीलांट के नाम इंतकाल संख्या 79 दिनाकं 24–09–2009 से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर पासबुक जारी की गई। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत बकाया तमाम राशि जरिये चालान क्रमांक 1055 दिनांक 17–09–2012 को जारी करते हुवे तमाम बकाया राशि 24–09–2012 को जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट को आवंटित भूमि मोहरबंद आवंटन हेतु अधिसूचित होने के कारण बतौर भूमिहीन आवंटन आवंटित नहीं की जा सकती थी जिस पर बिना गौर किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना माईण्ड अप्लाई किये अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोहरबंद आवंटन हेतु अधिसूचित भूमि को बिना राज्य सरकार से अधिसूचना से बाहर निकलवाये गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–02–2004 निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को उक्त आवंटित भूमि की खातेदारी हेतु तहसील खातेदारी हेतु तहसील हाजा मे जाकर सम्पर्क करने पर दिनांक 23.03.2017 को हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 के पिता रामचन्द्र के नाम से आवंटित होना एवं रामचन्द्र के देहावसान पर उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना बताया। जिस पर आवंटन आदेश के बारे में पूछताछ करने पर रिकार्ड उपखण्ड अधिकारी कोलायत मे होना बतलाया जिस पर प्रार्थीगण दिनांक 24.03.2017 को कोलायत आया एवं नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल आवंटन आदेश मय सम्पूर्ण पत्रावली प्राप्त करने पर रेस्पोडेन्टान को उक्त भूमि गैर कानूनी तरीके से आवंटित होने की जानकरी मिली जिस पर प्रार्थीगण द्वारा गांव जाकर सलाह मशविराह कर रूपये पैसों का बंदोबस्त कर आज दिनांक 03.04.2017 को बीकानेर आया एवं वकील नियुक्त कर जानकारी के दिन से बिना कोई देरी किये अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में करवाने बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता रामचन्द्र पुत्र लाधुराम जाति कुम्हार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजो की जांच कर रेस्पोडेन्ट के पिता श्री रामचन्द्र को 45 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन हेतु सक्षम घोषित किया गया था। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–02–2004 को को जरिये लॉटरी रेस्पोडेन्ट के पिता रामचन्द्र को चक 21–24 के.डब्ल्यु.डी. के मुरब्बा नम्बर 146/5 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन पश्चात् आवंटन आदेश जारी किया जा चुका है। तथा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि की खातेदारी भी मिल चुकी है। मौके पर रेस्पोडेन्ट काबिज है। अतः अपीलांट अब अपील के माध्यम से किसी प्रकार की रिलीफ पाने के अधिकारी नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि गुजरने के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। इस सूरत में न्यायिक दृष्टांत यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** प्रकरण जहॉ गुणावगुण पर मजबुत हो वहॉ प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दू की बजाय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विलम्ब कंडोन कर अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में गुणावगुण पर विचारण किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत आराजी का राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 20 सी के अन्तर्गत सीलबंद भूमि की कीमत प्रक्रिया से विक्रय द्वारा आवंटन हेतु दिनांक 09–02–2001 को गजट में नोटिफाई किया जा चुका था।

यह तथ्य भी निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट के पिता/पति रामचन्द्र को प्रश्नगत भूमि का **भूमिहीन श्रेणी** में दिनांक 21–02–2004 को आवंटन होकर दिनांक 07–10–2004 को आवंटन आदेश जारी हो गया था।

यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट को प्रश्नगत भूमि जरिये मुहरबंद आवंटन दिनांक 07–09–2009 को आवंटित हो चुकी थी। अपीलांट के नाम इस भूमि की पासबुक भी जारी हो गई थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 17–09–2012 को जारी चालान में दिनांक 24–09–2012 को समस्त राशि जमा करवा दी गई थी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस प्रकार इ यह प्रकरण अपीलाधीन भूमि के दोहरे आवंटन से संबंधित है। इसमें न्यायालय को निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है–

ए– अपीलांट व रेस्पोडेन्ट में से पूर्ववर्ती आवंटन किसका है?

बी– दोनो आवंटनो में से विधिक रूप से सही आवंटन कौनसा है?

सी– राजस्व हानि/लाभ की दृष्टि से कौनसा आवंटन राज्य सरकार के पक्ष में है?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को प्रश्नगत आराजी का भूमिहीन श्रेणी में आवंटन दिनांक 21–02–2004 को हो गया था जबकि अपीलांट को इस भूमि का जरिये मुहरबंद आवंटन दिनांक 07–09–2009 को हुआ। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्ववर्ती आवंटन है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

यद्यपि प्रश्नगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को अपीलांट से पहले हुआ परन्तु प्रकरण में यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या वरवक्त आवंटन प्रश्नगत भूमि भूमिहीन श्रेणी के आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नही? पत्रावली पर उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन दिनांक 09–02–2001 के अवलोकन से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि सीलबंद भूमि की कीमत प्रकिया से विक्रय द्वारा आवंटन हेतु नोटिफाई थी। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि वर्ष 2001 में ही मुहरबंद आवंटन हेतु नोटिफाई की जा चुकी थी। इस स्थिति में इस भूमि का बिना नोटिफाई करवाये अन्य श्रेणियों में आवंटन नही किया जा सकता था।

मुहरबंद आवंटन से राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्ति होती है वही इस श्रेणी की आरक्षित भूमि को अन्य श्रेणी में आवंटित नही किया जा सकता था। अपीलांट द्वारा राज्य सरकार को समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक रेस्पोडेन्ट के आवंटन का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को 45 बीघा अनकमाण्ड भूमि हेतु सक्षम घोषित किया जा चुका है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेन्ट का आवंटन कभी खारिज हुआ हो। इस स्थिति में रेस्पोडेन्ट को उसकी पात्रता के अनुसार भूमिहीन श्रेणी की अन्य भूमि नियमानुसार आवंटित की जा सकती है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा भी इस बाबत अपनी अनापति दौराने बहस प्रदान की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 21–02–2004 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इन निर्देशो के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस तथ्य की जॉच करे कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का अपीलाधीन भूमि का आवंटन कभी खारिज तो नही हुआ है। इस तथ्य की जॉच करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8-12-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर